



श्री हरिश्चन्द्र कृषि फार्म नम्बर 02 वाले कुएं की जमीन कृषि कार्य करने तथा कुएं पर स्थित लगभग 120 एवं उन्नत गुन्दा वृक्ष — 168 के लगभग वृक्षों से प्राप्त फलों को ठेके पर देने की शर्तें —

1. ठेके में श्री हरिश्चन्द्र कृषि फार्म के वाले कुएं के हथये के अन्दर की पक्के पेड़ों की जमीन को छोड़कर बाकी रिक्त पड़ी जमीन पर ठेकेदार काश्त करेगा। कुल भूमि लगभग 48 बीघा (48.25 बीघा)
2. उक्त कृषि फार्म का ठेका दिनांक 01.06.2025 से 31.05.2028 तक कुल तीन वर्ष का होगा। इस अवधि के पश्चात् ठेका स्वतः समाप्त समझा जायेगा। ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद कोई फसल बोने व लेने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
3. उक्त जमीन के साथ कुएं पर स्थित पक्के पेड़ों (गुन्दे) से प्राप्त फलों का ठेका भी शामिल होगा। पेड़ों की कटाई, छटाई, निराई, क्यारियाँ व थंवले बनाना, पानी पिलाई आदि समिति के आदेशानुसार विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ठेकेदार को करनी होगी।
4. बोली लगाने वाले व्यक्तियों को बोली लगाने हेतु 2,00,000 रुपये बतौर जमानत राशि चौपासनी समिति कार्यालय में जमा करानी होगी जिस व्यक्ति के नाम से बोली छूटकर ठेका देना तय हो जायेगा उसके अतिरिक्त अन्य बोली लगाने वाले ठेकेदारों को जमानत राशि उसी समय लौटा दी जायेगी। बोली छूटने वाले ठेकेदार की जमानत राशि बतौर जमानत के शिक्षा समिति कार्यालय में जमा रहेगी। उन्हें यह जमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात बकाया नहीं होने का (नो –ड्युज) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
5. जिस ठेकेदार को ठेका दिया जाना तय हो जायेगा उस व्यक्ति को ठेके की प्रथम किश्त के रूप में की पूरी बोली का एक चौथाई भाग की राशि प्रतिवर्ष के हिसाब से ठेकेदार की बोली स्वीकार होने के एक माह के भीतर—भीतर समिति कार्यालय में जमा करवानी होगी इस अवधि में राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार शेष राशि तीन बराबर किश्तों में प्रतिवर्ष के हिसाब से क्रमशः दिनांक 30.09.2025, 31.12.2025 व 31.03.2026 तक जमा कराने होंगे इसके लिए ठेकेदार इन तिथियों के अग्रिम चैक प्रथम किश्त के साथ ही समिति कार्यालय में प्रस्तुत कर देंगे। तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में चार किश्ते क्रमशः दिनांक 01.06.2026 30.09.2026, 31.12.2026 एवं 31.03.2027 व तीसरे वर्ष के लिए दिनांक 01.06.2027, 30.9.2027, 31.12.2027 व 31.03.2028 जिसके लिये ठेकेदार द्वारा उपरोक्त तिथियों के अग्रिम चैक समिति कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे जो समिति कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर बैंक में जमा कराने पर संस्था के खाते में राशि जमा होने पर ही किश्त जमा होना माना जायेगा। चैक अनादरित होने पर समिति ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही कर राशि वसूल कर सकेगी व सजा दिलाई जायेगी व राशि वसूल की जायेगी।
6. कुएं से ही ठेकेदार समस्त पक्के पोधों के लिए व जमीन में जो फसल बोयेगा उसके लिए पानी ले सकेगा इसके अलावा समिति किसी प्रकार से अलग से पानी नहीं देगी।
7. कुएं में पानी तथा जमीन जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में ठेकेदार को दी जायेगी और इस बाबत कोई शिकायत या शर्त बाद में नहीं कर सकेंगे। कुएं से पानी का उपयोग ठेकेदार अपनी इच्छानुसार उपरोक्त समिति की जमीन में ही कर सकेगा। अन्य किसी जमीन में फार्म के बाहर पानी नहीं दिया जा सकेगा।

8. फार्म पर लगे विद्युत पम्प सेट, पानी की पाईप लाईन, भूमीगत पाईप लाईन आदि सामग्री जिस चालु हालत में हैं ठेकेदार को सौंप दी जायेगी, उसी चालू हालत में ठेका समाप्ति पर ठेकेदार को समिति को पुनः सुपुर्द करनी होगी।
9. इस अवधि में विद्युत बिलों का भुगतान ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होते ही निर्धारित समय पर विद्युत विभाग में जमा करवायेगा एवं बिल जमा करवाकर मूल रसीद समिति कार्यालय में रेकर्ड हेतु सुपुर्द करनी होगी। ठेके की अवधि से संबंधित विद्युत खर्च की राशि ठेकेदार को ठेका समाप्त होने पर भी यदि विद्युत विभाग द्वारा एसियर के रूप में निकाली जाती है, तो उसका भुगतान भी संबंधित ठेकेदार को समिति कार्यालय में जमा करवाना होगा भले ही ठेका समाप्त हो गया हो।
10. ठेके की अवधि में विद्युत मोटर, स्टार्टर, पाईप लाईन, केबल व भूमिगत पाईप लाईन, वॉल आदि की खराबी की दशा में ठेकेदार स्वयं अपने खर्च से ठीक करवायेंगे।
11. वर्तमान में बनी तारबंदी व हत्थे की दिवार के अलावा अतिरिक्त नई तारबंदी या दिवार समिति द्वारा नहीं करवाई जायेगी एवं वर्तमान तारबंदी व दिवार में किसी प्रकार का नुकसान होगा तो ठेकेदार ठीक करवायेगा।
12. विद्युत मोटर चलाने हेतु अथवा देखरेख हेतु समिति की तरफ से पम्प ड्राईवर नहीं दिया जायेगा तथा ठेकेदार स्वयं अपनी व्यवस्था करेगा।
13. पम्प एवं मोटर की देखरेख मरम्मत आदि की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। छात्रावासों की टंकियों में पानी सप्लाई की व्यवस्था छात्रावास का कर्मचारी करेगा।
14. कृषि फार्म पर किसी प्रकार का पशु ठेकेदार द्वारा नहीं रख जायेगा, अगर पशु रखेगा तो समिति से परमिशन लेकर केवल एक ही जानवर रख सकेगा जिसे भी एक निश्चित रथान पर बांध कर रखेगा, कृषि फार्म पर इधर-उधर अन्यत्र नहीं बांधेगा।
15. कृषि फार्म पर खड़े पौधों को नुकसान ठेकेदार द्वारा नहीं पंहुचाया जायेगा अगर नुकसान पंहुचाया तो हर्जाना ठेकेदार समिति को देगा।
16. कुएं में पानी कम होने की दशा में समिति किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त रहेगी तथा बिजली विद्युत विभाग द्वारा दी जायेगी वही उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यवस्था समिति द्वारा नहीं होगी।
17. फार्म पर होने वाली सब्जियां मांग के अनुसार बाजार भाव से ठेकेदार को चौपासनी छात्रावास को देनी होगी जिसका भुगतान चौपासनी छात्रावास करेगा।
18. उपरोक्तानुसार जमीन में ठेकेदार को कुल सिंचित जमीन के 1/3 हिस्से की जमीन में देशी खाद (मिंगणी) प्रति वर्ष के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में डालना होगा। जो संस्था के अधिकारी/कर्मचारी/कमेटी या समिति सदस्य की देखरेख में ठेकेदार जमीन में उक्त खाद डालेगा जिसकी सूचना लिखित में उपरोक्तानुसार सत्यापित करवाकर संस्था को रिपोर्ट देगा तभी खाद डाला हुआ माना जायेगा। खाद न डालने की स्थिति में ठेकेदार की खड़ी फसल समिति द्वारा बीच में ही रोक दी जायेगी। जिससे नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

19. ठेकेदार द्वारा वर्ष के दौरान उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति या मुआवजा के रूप में ठेकेदार को समिति कोई भी व किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा जमा अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
20. ठेकेदार समिति से ठेका अवधि समाप्त होने पर कोई बकाया नहीं का प्रमाण पत्र (नो-ड्यूज सर्टिफिकेट) लेकर कृषि फार्म का विधिवत रूप से चार्ज 31 मई 2028 को समिति को सुपुर्द कर देगा।
21. कृषि फार्म पर समिति की तरफ से एक आवास गृह है जिस पर संस्था का पजेशन रहेगा।
22. फार्म की चार दिवारी (पक्की, कच्ची, बाड़ जैसी भी अवस्था है) को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिये।
23. फार्म के पास आवासीय कालोनी के मकान अथवा प्लाट है। फार्म पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिये यदि ऐसा होता है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगे तथा उनके विरुद्ध कानुनी कार्यवाही भी की जावेगी।
24. प्रति वर्ष ठेके की राशि पर आगामी दो वर्षों में 10% प्रतिशत बढ़ोतरी की जायेगी।
25. **अन्य शर्तें :-**
1. बोली लगाने से पूर्व ठेकेदार को निर्धारित जमानत राशि अनिवार्यरूप से चौपासनी शिक्षा समिति कार्यालय में जमा करानी होगी अन्यथा बोली लगाने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी। दोषी (Black Listed) ठेकेदार को ठेका लेने/बोली लगाने हेतु पात्र नहीं होंगे।
 2. हस्ताक्षर युक्त कुल 12 चैक बिना तिथि के किश्तोनुसार अग्रिम देना होगा।
 3. संस्था को देरी से भुगतान करने पर ब्याज का 18% प्रतिशत देना होगा। जो कि जुर्माना राशि से अलग होगा।
 4. ठेकेदार दो माह तक भुगतान नहीं करता है तो उसे आवंटित कृषि फार्म उत्पाद सहित जब्त कर लिया जायेगा।
 5. ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानुनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जमानत कर्त्ता के सम्बंध में कोई आश्वासन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 6. कृषि फार्म पर जो फसल बोई जायेगी, उसकी जानकारी शपत्र पत्र में देनी होगी।
 7. ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की फसल जो राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध फसल यथा अफीम, चरस गॉजा इत्यादि, नहीं उगाई जायेगी। यदि उगाई जाती है, तो उसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
 8. शपत्र पत्र में दो जमानत कर्त्ता के हस्ताक्षर मय फोटो व आधार कार्ड तथा रहवासीय पहचान पत्र, मोबाइल नम्बर व दुरभाष नम्बर इत्यादि देने होंगे।
 9. ठेकेदार को आवंटित कृषि फार्म का कोई भी भाग वह अन्यत्र को आगे आवंटित नहीं कर सकेगा।

10. ठेकेदार जो कृषि फार्म जिस कार्य हेतु (फसल हेतु) ठेके पर दिया गया है, उसके अतिरिक्त वह अन्य कोई कार्य मे इसका उपयोग नहीं करेगा।
11. समिति द्वारा ठेके पर दी गई कृषि भूमि में से आवश्यकता होने पर मांग के अनुसार जमीन वापिस लेने का अधिकार समिति का होगा। वापिस ली जाने वाली जमीन के अनुसार ठेके की राशि अनुपातिक रूप से परिवर्तनीय होगी।
12. आयकर विभाग के द्वारा ठेकेदार की आय में कृषिगत आय के कारण आयकरए जी.एस.टी इत्यादि अन्य कर निर्धारित किया जाता है तो उसके लिए ठेकेदार व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार रहेगा। ठेकेदार को जी.एस.टी इत्यादि जमा करा कर चालान की प्रति समिति कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
26. उक्त कार्य व शर्तों के लिए चौपासनी शिक्षा समिति का सर्वाधिकारी सुरक्षित रहेगा।

मानद् सचिव